संख्या– 149 /VI/2015–22(12)/2014–टी0सी0

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2015

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ के ग्राम लेलू में स्पोर्टस कॉलेज के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1038/पिथौ0स्पो0कॉ0नि0पत्रा0/2013–14/दे0दून, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या–288/VI-2/2015–21(12)/2012–टी0सी0, दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद–पिथौरागढ़ के ग्राम लेलू में स्पोर्टस कॉलेज के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन ₹2447.55 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा संस्तुत आगणन ₹ 2444.73 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹ 2157.56 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹ 287.17 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए **वित्तीय वर्ष 2014–15** में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 500.00 लाख (₹ पांच करोड़ मात्र) के उपरान्त अवशेष बची धनराशि ₹ 1944.73 लाख के सापेक्ष **वित्तीय वर्ष 2015–16** में द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या–414/XXVII(7)/2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्या–594/XXVII(7)/2010, दिनांक 09 जून, 2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय। भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलंब या अन्य किसी दशा में आगणन पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

7– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

9– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों से इतर कार्यों/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

11– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्तापरीक्षण के सम्बन्ध में नियोजन विभाग से समन्वय का तद्नुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–11–आयोजनागत–लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय–03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–14–पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज के भवन का निर्माण–00–24–वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष** में उपलब्ध धनराशि के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः अलाटमेंट आई0डी0 संख्या S1512 11036 **, दिनाक** 17 **दिसम्बर, 2015**

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

C:\Users\Lenovo\Desktop\August 2015\finance dec 2015\g.o.docx

पृष्ठांकन संख्या– 149 /VI/2015–22(12)/2014–टी0सी0, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. महा प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, पिथौरागढ़।
9. जिला कीड़ाधिकारी, पिथौरागढ।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

नियोजन विभाग से समन्वय का तद्नुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वाहन किया जायेगा।

13— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 के अनुदान संख्या—11 के** आयोजनागत मद में **लेखाशीर्षक—4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—03—खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम—102—खेलकूद स्टेडियम—05—स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)—24—वृहत निर्माण कार्य मानक मद में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से उक्त मद में उपलब्ध धनराशि** के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: अलाटमेंट आई0डी0 संख्या 31512110237 दिनाक 17 दिसम्बर, 2015

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या— 122/VI/2015—22(12)/2013—टी0सी0—III, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
7. परियोजना प्रबन्धक (कार्य0), उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड, इकाई कार्यालय, 85 हीरानगर (ब्लैसिंग्स), हल्द्वानी, नैनीताल—263139
8. जिला कीड़ाधिकारी, उधमसिंह नगर।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।